

15.7.12

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत फालोऑप केम्प मे अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.सडा मे पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। उतरदाता स.2 से 11 अनुपस्थित। उतरदाता स.1 की ओर से जबाव पेश किया गया। एवं विवादित भूमि के संबंध मे तहसीलदार सिणधरी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर शामिल मिसल की गई। वकील अपीलाण्ट की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उतरदाता स.2 से 11 सहखातेदारान होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। इनसे कोई अनुतोष नही चाहा गया है। न्यायहित मे स्वीकार की जाती है। वकील अपीलाण्ट की अपील पर अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया,कि ग्राम सडा धनजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 538 रकबा 249-16 बीघा भूमि आई हुई है। जिसके अपीलाण्ट एवं उतरदाता स.2 से 11 सहखातेदार है। विवादित भूमि के तत्कालीन सहखातेदार अपीलाण्ट के पिता दुर्गा के फोट होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण स.417 मे अपीलाण्ट का सही नाम मीरोदेवी के स्थान पर धेरलू बोलचाल भाषा मे गलत नाम कबुदेवी पुत्री दुर्गाराम दायर किया गया। जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड मे उक्त प्रविष्टि चली आ रही है। जबकी अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मीरोदवी है। अतःअपीलाण्ट का सही नाम मीरोदेवी पुत्री दुर्गाराम दायर किया जावे।

हमने वकील अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो एव तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि के सहखातेदार श्री दुर्गाराम के फोट होने पर भरे गये वारिसान के नामानतकरण स.417 मे अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मीरोदेवी क स्थान पर कबुदेवी दायर किया गया। जबकि मीरोदेवी व कबुदेवी एक ही है। अपीलाण्ट का वास्तविक नाम मीरोदेवी दर्ज करने की अभिशां

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी